11.0.2 घनत्व –

1. सड़क पटरी – सस्य का घनत्व विभिन्न प्रकार का है। सामान्यतः पुराने रोपणों की स्थिति नये रोपणों की अपेक्षा अच्छी है। नये रोपणों में असफलतायें अधिक हैं। इनकी असफलता का मुख्य कारण सुरक्षा खाई का न खोदा जाना या किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का न किया जाना है। गलत प्रजातियों के चयन एवं अनुचित स्थानों पर माउंड बनाकर रोपण करना भी रोपणों की असफलता का कारण रहा है।

2. रेल पटरी – पुराने रोपण, जिनमें यूकेलिप्टस मुख्य प्रजाति के हैं, अच्छे घनत्व के हैं, परन्तु नये रोपणों में असफल रोपणों की संख्या सफल रोपणों से अधिक है। रेलपथ पटरियों की जैविक दबाव से सुरक्षा अधिक कठिन है एवं इनमें भी घेरबाड़ की कमी, गलत प्रजातियों के चयन एवं अनुचित स्थानों पर माउंड बनाने के कारण सफलता कुप्रभावित हुई है।

3. नहर पटरी – पटरियों पर सस्य का घनत्व विभिन्न प्रकार का है। इसी को देखते हुए नहर पटरियों पर वृक्षारोपण प्रस्तावित करने के लिए इस कार्य योजना में नहर पटरी रोपण श्रेणी बनाई गयी है।

11.9 प्रगणना– सड़क पटरी में 50 तथा रेल व नहर में संपूर्ण प्रतिशत तीव्रता एवं स्टैटिफायड रैण्डम सैंपलिंग आधार पर क्षेत्र का चयन कर प्रगणना की गयी है।

11.10 आवर्तन काल– प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक– प–3497/36–1 दिनांक 5.4.1993 एवं प्रमुख वन संरक्षक मूल्यांकन एंव कार्ययोजना उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक– 907/16–3(यू0के0) दिनांक–27.5.1999 के अनुसार पटरी वृक्षारोपण में प्रजातियों के जो आवर्तन काल निर्धारित किये गये है, उनका पालन किया जायेगा।

11.11 पातन के सामान्य नियम–

(i) सूखे, उखड़े, व रुग्ण वृक्षों का वार्षिक पातन होगा।

(ii) गिरने की दृष्टि से खतरनाक वृक्षों का पातन उनकी विधिवत जांच के उपरांत किया जायेगा।

(iii) सड़क या रेल मार्ग चौड़ा करने हेतु नियमानुसार जांच व अन्य शासकीय प्रकियायें पूर्ण करने के उपरांत वृक्षों का पातन किया जा सकता है।

(iv) सामान्य पातन के पश्चात् जड़ खुदान नहीं किया जायेगा। पुनर्रोपण में अवरोध उत्पन्न करने वाले ठूंठों को ही निकाला जायेगा एवं कक्ष इतिहास में इसका उल्लेख किया जायेगा।

(v) शहरी सीमा में किसी प्रजाति का पातन उनके आवर्तन पूर्ण कर लेने पर भी नहीं होगा अर्थात् शहरी सीमा में किसी प्रजाति का पातन उसके भौतिक आवर्तन पर होगा।

11.12 वन वर्धन पद्धति– पौध रोपण द्वारा 'कृत्रिम पुनर्जनन' पद्धति अपनायी गयी है।

11.13 सड़क पटरी कार्य श्रेणी – इन पटरियों में रोपण योग्य 2 प्रकार के क्षेत्र हैं– कुछ पटरियों में यूकेलिप्टस की ऐसी प्रायः शुद्ध सस्य है, जो आवर्तन काल पूर्ण है, जिसमें पातन उपरांत रोपण किया जा सकता है एवं कुछ पटरियों में रोपण योग्य रिक्त स्थान उपलब्ध हैं। इसके आधार पर 2 श्रेणियां बनाई गई हैं।

11.13.1 सड़क पटरी यूकेलिप्टस पातन व रोपण श्रेणी – यूकेलिप्टस का आवर्तन काल होने के कारण यूकेलिप्टस के शुद्ध एवं प्रायः शुद्ध रोपवनों के समस्त क्षेत्रों में पातन के उपरांत रोपण करना अनिवार्य होगा, यदि किसी कारण रोपण करना कठिन प्रतीत हो रहा हो, तो उस क्षेत्र में पातन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner